न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 45/2013 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. महेन्द्रा देवी धर्मपत्नी श्री गंगावत यादव जाति अहीर निवासी ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. अभयसिंह पुत्र जीवन यादव जाति अहीर निवासी ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 ।

..... वादी/प्राथी/रेस्पो0

2. सूरजकंवर विधवा पत्नी स्व0 बोदन यादव जाति अहीर निवासी ग्राम दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 प्रतिवादी/अप्रार्थी सं0 1
3. मुकेश देवी पुत्री स्व0 बोदन एवं पत्नी श्री सूबेसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तहसील एवं जिला रिवाड़ी (हरियाणा) प्रतिवादी सं0 3
4. अनिता देवी पुत्री स्व0 बोदन एवं पत्नी श्री सुमेरसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम मीरपुर तहसील एवं जिला रिवाड़ी (हरियाणा) प्रतिवादी अप्रार्थी सं0 4
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर अलवर राज0 प्रतिवादी अप्रार्थी सं0 5
6. रामरती पुत्री बोदन जाति अहीर निवासी दरबारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर तर0 प्रतिवादी सं0 6

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–

1. श्री कृष्ण कुमार अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री अनिल यादव अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1, 4
3. रेस्पो0 सं0 2 व 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये ।
4. श्री विनोद कुमार यादव राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.05.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के निर्णय दिनांक 4.4.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल ख0 नं0 699, 700 साबिक ख0 नं0 605 से हाल ख0 नं0 722 साबिक ख0 नं0 262 से पैतृक हुई है । विवादित आराजी वादी की खानदानी आराजी रही है जो वादी को वादी के दादा थावरिया से विरासत में प्राप्त हुई है । बोदन से पूर्व में विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार वादी का दादा रहा है । विवादित आराजी में वादी को बाई बर्थ हक हकूक हासिल है जिसमें वादी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के मुताबिक पिता का प्रथम श्रेणी का वारिस वादी रहा है और समस्त आराजी में से वादी का हिस्से अनुसार नेशनल शेयर बोदन की आराजी में से 1/5 भाग वादी का एवं 1/5 भाग तर0 प्रतिवादी का एवं 3/5 भाग प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 का बनता है । समस्त वारिसान अपने–अपने हिस्से पर काबिज एवं दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । इसी तरह पक्षकारों को भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन प्रतिवादी सं0 1 बहुत चालाक औरत है जिसने मुकदमेबाजी में ही अपनी जिन्दगी पूरी की है । इसके द्वारा बोदन से सालिम आराजी का गैर कानूनी तौर से बयनामा कराकर सालिम आराजी अपने नाम करा ली जबकि बोदन को खानदानी आराजी के सालिम भाग का बयनामा प्रतिवादी सं0 1 के नाम करने का कोई हक व अधिकार नहीं था एवं आराजी उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए थी । प्रतिवादी सं0 1 ने बोदन से दि0 20.9.2005 को कराया गया बयनामा वादी एवं तर. प्रतिवादी सं0 6 के हक हकूकों के खिलाफ 9/5 भाग तक बातिल व बेअसर है । उक्त बयनामा के आधार पर दर्ज किया गया इन्तकाल सं0 759 काबिल खारिज है । प्रतिवादी सं0 1 ने चालाकी से बयनामा कराया है और उक्त बयनामा के आधार पर राजस्व रेकार्ड में गैर कानूनी तौर पर व अनाधिकार अपने हक हकूकों से अधिक हिस्से की राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करा लिया । उक्त गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी सं0 2 को सालिम आराजी का बयनामा बिना जर्ये बदल कब्जा दि0 14.9.2012 को करा दिया जबकि उक्त विवादित आराजी बोदन को थावरिया वादी के दादा से विरासत में प्राप्त हुई और खानदानी आराजी में समस्त काश्तकारों को समान अधिकार हासिल है । कोई एक व्यक्ति खानदानी आराजी में किसी भी प्रकार से तन्हा अकेला हक हकूक हासिल नहीं कर सकता है । वादी एवं तर0 प्रतिवादी सं0 6 विवादित आराजी में से 1/5–1/5 भाग के खातेदार काश्तकार की घोषणा कर सकते हैं एवं बयनामा दि0 20.9.05 एवं 14.9.2012 वादी एवं तर0 प्रतिवादी सं0 6 के हक हकूकों तक बातिल एवं बेसर करा दिलाने के अधिकारी है । इसलिए प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिसमें से 1 ल0 4 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 4.4.2013 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया जिस निर्णय दि0 4.4.2013 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

उ-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी बोदन की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की थी, पैतृक नहीं थी । रेस्पो0 को समस्त राजस्व रेकार्ड की लगातार जानकारी रही है । रेस्पो0 को बोदन के बयनामा के खिलाफ ही सन् 2005 में दावा करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण की साक्ष्य पर ना तो विधिक रूप से गौर किया और ना ही उसका विवेचन अपने आदेश में किया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध है कि प्रतिवादी सं0 1 का वादी पुत्र एवं प्रतिवादी सं0 3, 4, 6 पुत्रिया है जिनका बुर्जुग बोदन पुत्र थावरिया था । विवादित आराजी बोदन की खातेदारी की थी । उक्त हिन्दू संयुक्त परिवार का कर्ता बोदन ही था । पत्रावली पर वादी की माता प्रतिवादी सं0 1, बहस प्रतिवादी सं0 3, 4, 6 का यह एडमिशन है कि वादी अपने पिता बोदन के साथ मारपीट करता था एवं अपनी माता के साथ भी मारपीट करता था जिससे वादी के आवारा, बदचलन होने का कण्डेक्ट जाहिर होता है । वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 से धन ऐठने के लिए मनमाने आधार पर दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया था । प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में तर्क दिया है कि जब तक हर दो विक्रय पत्र दि0 19.7.2005 व 14.9.2012 को सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा अवैध करार नहीं दिया जाता वादी को राजस्व न्यायालय द्वारा कोई रिलीफ नहीं दी जा सकती है । ऐसी स्थिति में वादी का प्रकरण राजस्व न्यायालय में विचारण योग्य नहीं हो कर दीवानी न्यायालय के विचारण योग्य है । प्रतिवादीगण द्वारा विद्वान तहत न्यायालय के समक्ष बहस में जाहिर किया है कि वादी ने महज तंग व परेशान करने के लिए झूंठा दावा पेश किया है । वादी/रेस्पो0 के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति साबित नहीं है बल्कि उक्त तीनों बिन्दु प्रतिवादीगण/अपीलांट के पक्ष में साबित है । विवादित आराजी बोदन के कब्जा काश्त खातेदारी की थी जिसके वादी पुत्र एवं प्रतिवादी सं0 3, 4, 6 पुत्रियां है । बोदन द्वारा अपने इस संयुक्त परिवार के हित में धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रतिवादी सं0 1 को बेचान कर कब्जा दे दिया गया एवं खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 के हक में आ गयी ऐसी सूरत में उक्त संयुक्त परिवार के समस्त सदस्यों के बाई बर्थ अधिकार समाप्त हो गये एवं वादी का विवादित आराजी में किसी प्रकार का अधिकार शेष नहीं रहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी रेस्पो0 की खानदानी आराजी है जो रेस्पो0 के पिता को रेस्पो0 के दादा थावरिया से विरासत में प्राप्त हुई है । बोदन से पूर्व में विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार रेस्पो0 का दादा थावरिया रहा है । विवादित आराजी में रेस्पो0 को बाई बर्थ हक हकूक हासिल है जिसमें रेस्पो0 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956

Scanned by CamScanner

की धारा 8 के मुताबिक पिता का प्रथम श्रेणी का वारिस है और समस्त आराजी में से रेस्पो0 का हिस्से अनुसार नेशनल शेयर बोदन की आराजी में से 1/5 भाग का एवं 1/5 भाग का तर0 प्रतिवादी एवं 3/5 भाग का प्रतिवादी सं0 1, 3, 4 का हिस्सा बनता है । समस्त वारिसान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज एवं दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2010 व जमाबन्दी सम्वत् 1998 की छाया प्रति में रेस्पो0 के दादा थावरिया का नाम हिस्से में दर्ज है । जमाबन्दी सम्वत् 2029 की छाया प्रति में हाल खसरा नम्बरों पर रेस्पो0 के पिता बोदन का नाम दर्ज है । हाल जमाबन्दी में विवादित ख0 नं0 1908/322 की तन्हा व ख0 नं0 699 रकबा 0.18 ऐयर, 700 रकबा 0.19 ऐयर में प्रतिवादी सं0 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है । इस आराजी को प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक 14.9.2012 को रजिस्टर्ड बयनामा से प्रतिवादी सं0 2 को बेचान किया है । हाल राजस्व रेकार्ड में रेस्पो0 की माता प्रतिवादी सं0 1 जो विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है को यह आराजी पैतृक आराजी मे से प्राप्त होना प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से साबित है । विवादित आराजी अगर रेस्पो0 के बुर्जुग से पीढ़ी दर पीढ़ी आई है तो उसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रेस्पो0 को जन्म से हक हकूक प्राप्त होते हैं । विद्वान तहत न्यायालय ने रेस्पो0/वादी के प्रकरण में प्राईमाफैसी साबित माना है तथा वादी/रेस्पो0 को अगर विवादित आराजी की यथास्थिति कायम नहीं रखी जाती तो नापूर्ति होने वाली क्षति होती है तथा इसी आधार पर वादी/रेस्पो0 को सुविधा का संतुलन माना है । विवादित आराजी वादी/रेस्पो0 के पिता की आराजी है जिसमें 1/5 हिस्सा बनता है । विद्वान तहत न्यायालय ने जो ताफेसला स्थगन दिया है वह मेरी राय में उचित प्रतीत होता है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है जिसमें दखल देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के निर्णय दिनांक 4.4.2013 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,

Scanned by CamScanner